

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1997 सत्र

विनिक विधायक सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 1997 (फाल्गुन 30, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रबन्धोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री शिव नेताम्, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 16 वीं वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ब के खण्ड (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग का ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये प्रतिवेदन (अप्रैल 1996 से मार्च 2001) जून, 1996 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षित

(1) सर्वश्री बृजेन्द्र पाठक, गोपीकृष्ण नेमा, रामलखन शर्मा, सदस्य, मण्डी सचिव की अनियमितताओं के कारण सतना कृषि उपज मण्डी बंद होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) डॉ. आई. एम. पी. वर्मा, श्रीमती विद्यावती पटेल, श्री लस्तुसिंह, सदस्य, शहडोल लोक निर्माण कार्यालय में पथकर नीलामी किये जाने के समय दो गुटों में खूनी संघर्ष होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री रामलखन सिंह (त्यौधर), फुन्दर चौधरी, सदस्य, पत्रा जिले के ग्राम सिल्ली के आदिवासियों के मकान वन कर्मियों द्वारा तोड़ जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य, बस्तर जिले के भानुप्रतापपुर उत्पादन वन मंडल में बास व लकड़ी की निकासी में अनियमितताये होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) सर्वश्री कैलाश चावला, अगदीश देवडा, सदस्य, मन्दसौर जिले के गोधी सागर बांध के मत्स्य ठेकेदार द्वारा रायलटी की चोरी किये जाने की ओर मछली पालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री विक्रम सिंह उर्मेडी, सदस्य, बस्तर जिले की उत्तर बस्तर दुर्घट विकास परियोजना बंद होने की ओर देयरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के निवाझी एवं पृथ्वीपुर क्षेत्रों में पेयजल संकट होने की ओर लोक स्वास्थ्य धारिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम कजलीखेड़ा के एक परिवार के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत पोन्डी के सरपंच द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री बाबूलाल जैन, सदस्य, उज्जैन जिले के महिदपुर नगर में पेयजल संकट होने की ओर लोक स्वास्थ्य धारिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) सर्वश्री बनवारी लाल अग्रवाल, भूपेन्द्र सिंह, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, जगदलपुर जिले के ग्राम चित्तलनार के साप्ताहिक बाजार को नक्सलियों द्वारा लूटे जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के सुखाई जलाशय से सिंचाई हेतु पानी न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री लक्ष्मण सिंह गोड, सदस्य, इंदौर शहर में गम्भीर पेयजल संकट होने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉ. गौराशंकर शेजवार, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम दौलतपुरा निवासी एक व्यक्ति की पुलिस प्रताङ्कना से मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, नन्हे लाल धुर्वे, सदस्य, जबलपुर जिले के बरगी वन परिक्षेत्र अन्तर्गत वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य, राजनोकाव जिले के ग्राम खरदी में आदिवासियों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) डॉ. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के दिमनी थानान्तर्गत पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) डॉ. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम सविता का पुरा में डकैती एवं अपहरण की घटना घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री रघुराज सिंह तोमर, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम कैनूद में आग लगने से कृषकों की क्षति होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) सर्वश्री बच्चन नायक, रामलखन सिंह (त्योथर), सदस्य, रायपुर जिले की उलवर्धा कम्पनी के श्रमिक नेता की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, होशगाबाद जिले के केसला विकास खण्ड में शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) सर्वश्री गोपाल परमार, गिरिराज मण्डलोई सदस्य, शाजापुर जिले के आगर क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री खेम सिंह बारमते, सदस्य, बिलासपुर जिले के मुंगेती एवं पंडिरिया विकास खण्ड में सूखे से फसलों की क्षति होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) सर्वश्री माध्याराम नेगी, बालाराम वर्मा, सदस्य, रायपुर जिले के भटगांव के एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम अमरपुरा की एक महिला के साथ बलात्कार की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री जनकलाल ठाकुर, रामलखन सिंह (त्योथर), प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, उप योनियों की नियुक्ति में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री ओकार सिंह बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के कोटेश्वर मन्दिर में नरबलि की घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले की जामनी नदी से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) युवराज तुकोजीराव पवार, सदस्य, देवास शहर में पेयजल संकट होने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, सदस्य, सीधी जिले के चुरहट क्षेत्र के अनेक ग्रामों की नलजल धोजनाये बन्द होने की ओर लोक स्वास्थ्य योग्यिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, पंदरसीर जिले की नगर पंचायतों में पेयजल संकट होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(उ२) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, ईश्वरदास रोहाणी, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग में अनियमितता के दोषी अधिकारियों को बहाल किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(उ३) डॉ. अशोक साबले, सदस्य, बैतूल जिले में नियमित रूप से विद्युत प्रवाय न होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(उ४) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, राजनांदगांव जिले की खण्डसरा ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा अनियमिततायें किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(उ५) श्री बाबूलाल गीर, सदस्य, छिवड़ा में चुनाव प्राचार के दौरान परिवहन विभाग के उड़नदस्ती के वाहन का दुरुपयोग किये जाने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(उ६) श्री धरमू शाय, सदस्य, सागर जिले की सेवा सहकारी समिति बांदरी द्वारा नकली खाद का वितरण किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(उ७) श्री बच्चन नायक, सदस्य, गवालियर-चम्बल सम्भाग में माठ कीट के प्रकोप से फसलों की क्षति होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(उ८) डॉ. कन्हैयालाल शर्मा, सदस्य, रायपुर जिले में सुखे से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेगे।

(उ९) श्री बच्चन नायक, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम भेरोपुरा से एक लड़की का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(उ१०) श्री गंगुराम बघेल, सदस्य, दुर्ग स्थित आसननी द्वारा प्रदूषण केलाये जाने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

४. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(१) श्री सत्यब्रत अतुर्वेदी, सभापति, विशेषाधिकार समिति का बाइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगे।

(२) डॉ. गोविन्द सिंह, सभापति, याचिका समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगे।

(३) श्रीमती जून चौधरी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

५. प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री भगवान सिंह यादव, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेगे:-

“सागर के पुलिस कर्मियों के आचरण की जांच हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय।”

६. याचिकाओं की प्रस्तुति

(१) श्री बच्चन नायक, सदस्य, कट्टनी नगर के लोहखान के दोषी को बहाल किये जाने, तथा

(क) जबलपुर जिले के ग्राम लोहखान की फसलों की सिंचाई लोहखान टैक से कराये जाने, तथा

(ख) कट्टनी नगर के खिरहनी रेल्वे फाटक पर ओवर ब्रिज बनाये जाने,

(ग) कट्टनी नगर के पास नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(घ) कट्टनी नदी पर अमकुही बराज बनाये जाने, तथा

(ङ) शहडोल जिले के ग्राम कछार के निवासियों को जबलपुर जिले के ग्राम रोहनिया के पास आवासीय एवं कृषि भूमि का पट्टा दिलाये जाने,

(२) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर नगर स्थित -

(क) शीतानाथ केम्प पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(ख) भगीरी पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने, तथा

(ग) पठिंडत दीनदयाल उपाध्याय नगर में सड़क निर्माण एवं जल संकट दूर कराये जाने,

- (3) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इन्दौर नगर से गंदगी, मच्छर, मक्खी,बदबू, द्रुष्टि जल एवं जल संकट दूर किये जाने,
- (4) श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य, जबलपुर जिले के -
- (क) ग्राम बैगवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
 - (ख) ग्राम रीठी से पटेहरा तक पक्की सड़क बनाये जाने,
 - (ग) इमलाज जलाशय का कार्य पूर्ण कराये जाने,
 - (घ) कट्टी नगर स्थित सिविल लाइन सार्वजनिक मार्ग को आम जनता के लिये खालू कराये जाने,
 - (ड.) बड़ागांव - नयाखेड़ा - कठोलिया मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
 - (च) ग्राम पुरेना से निटर्रा तक की सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा
 - (छ) ग्राम इमलाज से कुम्हरवारा तक प्रथम त्रेणी मार्ग बनाये जाने,
- (5) श्री लल्लु सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के -
- (क) घुरबार-नवलपुर-छतबई मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा
 - (ख) ग्राम रिंहपुर से खैरहा तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
- (6) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के धाला-विधावन पहुंच मार्ग को पूर्ण कराये जाने, तथा
- (7) डॉ. सियाराम साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले की नगर पंचायत गड्ढ में विद्युत उपभोक्ता केन्द्र स्थापित किये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

7. शासकीय विधि विधेयक कार्य

(1) श्री तनवीत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 14 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री जसवंत सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 16 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 17 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) विधि संशोधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 18 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 19 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. प्रतिवेदन पर चर्चा

निर्धारित
समय
2 घन्टे

मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का छीदहवा वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1995-96) तथा लोक आयुक्त संगठन का छीदहवा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96, व्याख्यात्मक जापन, पर चर्चा.

निर्धारित दैर्घ्य

9. अशासकीय विधि विषयक कार्य

20 मि.

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 3 सन् 1997) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

20 मि.

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय निकायों की सीमा-स्त्रों में स्थित दरबारी या सिक्का आदेश द्वारा हस्तान्तरित या अन्यथा स्थानीय निकायों के प्रबंधन में आयी वखल राहित भूमियाँ राज्य सरकार में वेष्ठित किया जाना विधेयक, 1997 (क्रमांक 8 सन् 1997) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

10. अशासकीय संकल्प

(1) सर्वश्री मांगीलाल भण्डारी, मोती कश्यप, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -

40 मि.

“सदन का यह मत है कि प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन आदि शहरों में प्रदूषण रोकने की दृष्टि से तीन पहिया डीजल टेम्पो को शहरी सीमा से बाहर छलाया जावे।”

(2) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -

उच मि.

“सदन का यह मत है कि क्वासी परमानेट (अर्ड स्थाई) विद्युत कनेक्शनों को स्थाई किया जाय।”

(3) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -

उच मि.

“सदन का यह मत है कि प्रदेश में उपलब्ध बीहड़ एवं परती हजारों एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाकर, कृषि कार्य हेतु रियायती दर पर गामीणों को आवंटित कर विकसित किया जाय।”

11. नियम 52 के अधीन आजे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 10 मार्च 1997 को बन मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 159 (क्रमांक 6728) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. सियाराम साहू तथा डॉ. रमन सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

(2) दिनांक 6 मार्च, 1997 एवं दिनांक 13 फरवरी, 1997 को लोक स्वास्थ्य योगिकी मंत्री से पूछे गये क्रमशः तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्रमांक 1385) तथा परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 38 (क्रमांक 1379) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

(3) दिनांक 4 मार्च 1997 को राज्य मंत्री खनिज साधन से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 4412) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामलक्ष्मन सिंह (त्यौधर), सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

(4) दिनांक 10 मार्च, 1997 को लोक निर्माण मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 105 (क्रमांक 5750) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री गंगूराम बघेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

(5) दिनांक 10 मार्च, 1997 को राज्य मंत्री उच्च शिक्षा से पूछे गये अतारंकित प्रश्न संख्या 66 (क्रमांक 4756) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

भोपाल :
दिनांक : 20 मार्च, 1997

अशोक अनुरोदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा